राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 01/2024

सायल्	बनाम	गैर सायल्
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी **बेरीगांव**		पूरणसिंह पुत्र तुलछीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 18.09.2024

–:निर्णयः–

प्रकरण से संक्षिप्त मे तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का **बेरीगांव** ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा **तेजियावास** राजकीय भूमि ख.न. **197/42** रकबा **0.0486** हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता(राजकीय भूमि) में से **0.0486** हैक्टेयर भूमि पर जिन्स बाजरा बोकर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतः गैर सायल् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल् को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 05.09.2024 को सायल् हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायल् अनुपस्थित। पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 18.09.2024 को जवाब हेतु समय दिया गया तदुपरान्त गैर सायल अनुपस्थित रहने से इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि गैर सायल् कोई जबाव प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। अतः गैर सायल् के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी (गैर मुमकिन रास्ता) है। जिस पर गैर सायल् द्वारा काश्त कर अनाधिकृत कब्जा साबित होता हैं। जिससे आमजन का आवागमन बाधित हो रहा है। अतः गैर सायल् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.01 रूपये का राउण्ड अप 01 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत काश्त की गई फसल को कुर्क कर सरकारी तहसील में लेने तथा नियमानुसार निलाम कर राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दियें जाते है। बेदखली एवं जुर्माना वसूली, कुर्की की निलामी हेतु हल्का पटवारी व भू.अ.नि. तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गिर्राज प्रसाद शर्मा)
नायब तहसीलदार गुड़ामालानी